भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 487
उत्तर दिनांक 23/07/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

487. श्रीमती जेबी माथेर हीशम

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन (शांति) अधिनियम, 2025 के तहत अधिसूचित किए गए नियमों की स्थिति क्या है और जारी किए गए निजी लाइसेंसों का रिएक्टर के प्रकार और क्षमता सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) निजी परमाणु परियोजनाओं के निर्माण में विलंब और लागत में बढ़ोत्तरी पर नज़र रखने और उन्हें कम करने हेतु कौन-कौन से तंत्र मौजूद हैं;

(ग) परियोजनाओं के निर्माण/शुभारंभ के लिए तय समय-सीमा और निजी प्रचालकों द्वारा नियमों का अनुपालन न करने पर लगने वाली शास्तियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रचालकों की देयता से अधिक नुकसान वाले हादसों के लिए देयता का ढांचा और इसके सार्वजनिक वित्तीय जोखिम का ब्यौरा क्या है;

(ङ) विदेशी निवेश पर रोक को देखते हुए निजी प्रचालकों द्वारा वित्तपोषण व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अधिनियम के तहत परमाणु से जुड़ी जानकारी को आरटीआई के माध्यम से उजागर करने से प्रतिबंधित करने का औचित्य क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) वर्तमान में शांति अधिनियम के अंतर्गत नियम, मसौदा तैयार करने के चरण में हैं और उपयुक्त विधायी प्रक्रियाओं के अनुसार अधिसूचित किए जाएंगे, और फिर निजी पक्षों से लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा।

(ख) व (ग) यह शांति अधिनियम, 2025 के ढांचे के अंतर्गत नहीं आता है।

(घ) दुर्घटनाओं के लिए नाभिकीय क्षति हेतु नागरिक दायित्व के संबंध में ढांचा शांति अधिनियम, 2025 की धारा 13 और 14 में प्रदान किया गया है-

1. प्रत्येक नाभिकीय घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि विशेष आहरण अधिकार तीन सौ मिलियन रुपए के समतुल्य होगी या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।
2. विभिन्न श्रेणियों की नाभिकीय संस्थापनाओं में प्रत्येक नाभिकीय घटना के संबंध में एक प्रचालक की क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	नाभिकीय संस्थापनाओं की श्रेणियाँ	प्रचालक की क्षतिपूर्ति की सीमाएं *(भारतीय रुपए) करोड़ में*
1	3600 मेगावाट से अधिक की तापीय क्षमता वाले रिएक्टर	3000
2	1500 मेगावाट से अधिक और 3600 मेगावाट तक की तापीय क्षमता वाले रिएक्टर	1500
3	750 मेगावाट से अधिक और 1500 मेगावाट तक की तापीय क्षमता वाले रिएक्टर	750
4	50 मेगावाट से अधिक और 750 मेगावाट तक की तापीय क्षमता वाले रिएक्टर	300
5	150 मेगावाट तक की तापीय क्षमता वाले रिएक्टर, भुक्त ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्रों के अलावा ईंधन चक्र सुविधाएं और नाभिकीय सामग्री का परिवहन	100

3. केंद्र सरकार नाभिकीय घटना के संबंध में नाभिकीय क्षति के लिए उत्तरदायी होगी -

i) जहां प्रचालक का दायित्व दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट राशि से अधिक है, उस सीमा तक जहां तक ऐसा दायित्व प्रचालक के दायित्व से अधिक है

ii) जहां नाभिकीय घटना केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नाभिकीय संस्थापना में हुई है

iii) जहां नाभिकीय घटना असाधारण स्तर की गंभीर प्राकृतिक आपदा या सशस्त्र संघर्ष, शत्रुता, गृहयुद्ध, विद्रोह या आतंकवाद के कारण हुई है

4. अपनी क्षतिपूर्ति को पूरा करने के प्रयोजन से, केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को बेची गई बिजली पर टैरिफ से शुल्क लेकर नाभिकीय क्षतिपूर्ति निधि की स्थापना कर सकती है।

5. केंद्र सरकार, जहां आवश्यक हो, अतिरिक्त उपाय कर सकती है, यदि इस अधिनियम के तहत दिया जाने वाला मुआवजा तीन सौ मिलियन विशेष आहरण अधिकारों से अधिक है, जिसमें 27 अक्टूबर, 2010 को वियना में हस्ताक्षरित नाभिकीय क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन के तहत धन की मांग करना शामिल है, जिसका भारत गणराज्य एक हस्ताक्षरकर्ता है।

(ङ) निजी प्रचालक नाभिकीय संस्थापना के प्रचालन से पहले बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय सुरक्षा या दोनों का संयोजन प्राप्त करेंगे जो उनकी क्षतिपूर्ति को शामिल करता हो। प्रचालक को समय-समय पर वैधता की अवधि की समाप्ति से पहले बीमा पॉलिसी या अन्य वित्तीय सुरक्षा का नवीनीकरण करना चाहिए।

(च) शांति अधिनियम में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वह सूचना जिसे "प्रतिबंधित सूचना" माना जाता है और ऐसी सूचना का प्रकटन जो राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक है, उसे प्रकटन से छूट है। ये प्रावधान आरटीआई अधिनियम के अनुरूप हैं। इसके अलावा, शांति अधिनियम में नियामक परिषद को प्रतिबंधित सूचना का प्रकटन किए बिना नाभिकीय संरक्षा से संबंधित मामले पर एक नियोजित जन संपर्क कार्यक्रम और इच्छुक पार्टी के साथ जुड़ने के द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

*****